न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1099 सन 2021

अनवान :–

1. दलीप 2. भागीरथ 3. रोहतास पि0 अमरसिह जाति जांगिड निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. मोतीलाल पुत्र महीराम जाति जांगिड निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. सावित्री पत्नी खिराज जाति जांगिड निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 19/09/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खसरा संख्या 449 की कुल 24.15 बीघा भूमि मुश्तरका खाते में बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसमें वादी के पिता अमरसिह 238 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा सोनडी के खसरा संख्या 449 की कुल 24.15 बीघा अर्थात 6.262हैक बनते है राजस्व विभाग द्वारा उक्त 24.15 बीघा भूमि की जमाबन्दी ऑनलाईन एव नक्शा ऑनलाईन बनाते समय खसरा न0 449/1 की 0.5440हैक वादीगण के खसरा न0 449/2 की 2.0860हैक भूमि बनवारी वल्द कालू के खसरा संख्या 449/3 की 2.0860हैक मांगीलाल पुत्र लादुराम के खसरा 449/4 की 0.3730हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज कर दी अर्थात कुल 5.0890हैक भूमि वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी जबकि कुल 6.2620हैक भूमि मौका पर थी जिसे वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी इस प्रकार पूर्व जमाबन्दी /नक्शा से वर्तमान ऑनलाईन जमाबन्दी/नक्शा बनाते समय 1.173हैक भूमि जो वादीगण के कब्जा काश्त में है कम दर्ज की दी गई।

उक्त भूमि में से खसरा संख्या 449/1 की 0.373हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त में है तथा वर्तमान जमाबन्दी नक्शा में 0.373है का ही बना है तथा खसरा संख्या 449/4 की 1.717हैक भूमि वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि है जिसे वर्तमान में कम दर्ज किया गया है जिसे पुरा करवाने के अधिकारी है।

इस प्रकार वर्तमान जमाबन्दी बनाते समय सहवन से जमाबन्दी एव नक्शा में खसरा न0 449/1 जो की प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के कब्जा काश्त की भूमि है वादीगण के नाम दर्ज कर दी जिसे प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा खसरा संख्या 449/4 की 1.717हैक भूमि जो वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि है को कम कर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज कर दी जिसे वादीगण पूरी करवाकर अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को कई मर्तबा कहा की वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की भूमि जो उनके कब्जा काश्त में है जिसे सहवने वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि प्रतिवादीगण के नाम एवं प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि वादीगण के नाम दर्ज कर दी और ऑनलाईन जमाबन्दी /नक्शा तरमीम कर कम दर्ज कर दी को पूर्ण किया जाकर वादीगण एव प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 632 के खसरा संख्या 449/4 की 0.3730हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर खसरा संख्या 449/1 की 0.3730हैक के स्थान पर 1.717हैक भूमि का अंकन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 220/197 के खसरा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हको को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दावालाई /पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 632/605 की कुल 0.7520हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम समुक्त खाते मे दर्ज है रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 220/197 की कुल 2.2570हैक भूमि वादीगण के नाम समुक्त खाते मे दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व मे रोही मौजा सोनडी के खसरा संख्या 403/37.19 बीघा एव खसरा संख्या 449 की 24.15 बीघा कुल 62.14 बीघा भूमि समुक्त खाते मे दर्ज है जिसमे से वादीमण के पिता का 238 हिस्सा दर्ज थी।

उक्त भूमि मे अमरसिह के देहान्त होने एव दस्तावरदारी का नामन्तकरण दर्ज किया गया जो सही रूप से दर्ज किया गया किन्तु आगामी जमाबन्दी ऑनलाईन एवं नक्शा तरमीम कर रोही मोजा सोनडी के खाता संख्या 632 के खसरा संख्या 449/4 की 0.3730हैक प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज कर दी एव रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 220/197 के खसरा संख्या 449/1 की 0.544 हैक भूमि दर्ज कर दी।

वादीगण का कथन है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे रोही मौजा सोनडी के खसरा संख्या 632 के खसरा संख्या 449/4 की 0.3730हैक दर्ज है जबकि 1.717हैक भूमि होनी चाहिये थी एव वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु सहवन से खसरा संख्या 449/4 की 0.373हैक दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नम दर्ज कर दी इसी प्रकार खसरा संख्या 449/1 की 0.544हैक भूमि वादीगण के नाम दर्ज कर दी जबकि खसरा संख्या 449/1 की 0.373हैक भूमि होनी चाहिये थी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज होनी चाहिये थी इसीअनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि जो वादीगण के कब्जा काश्त मे प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज कर दी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के कब्जा काश्त की भूमि वादीगण के नाम दर्ज कर दी वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि वादीगण के नाम एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के कब्जा काश्त की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज की जाकर पूर्ण की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 632 के खसरा संख्या 449/4 की 0.373हैक वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर खसरा न0 449/4 की 0.373हैक के स्थान पर 1.717हैक भूमि का अंकन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसीप्रकार रोही मोजा सोनडी के खाता संख्या 220/197 के खसरा संख्या 449/1 की 0.544हैक भूमि जो वादीगण के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर खसरा संख्या 449/1 की 0.544हैक के स्थान पर 0.373हैक अकित की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/9/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. दलीप 2. भागीरथ 3. रोहतास पि0 अमरसिह जाति जांगिड निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1 मोतीलाल पुत्र महीराम जाति जांगिड निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. सावित्री पत्नी खिराज जाति जांगिड निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1099 सन 2021 निर्णय दिनांक– 19/09/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 632 के खसरा संख्या 449/4 की 0.373हैक वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर खसरा न0 449/4 की 0.373हैक के स्थान पर 1.717हैक भूमि का अंकन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसीप्रकार रोही मोजा सोनडी के खाता संख्या 220/197 के खसरा संख्या 449/1 की 0.544हैक भूमि जो वादीगण के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर खसरा संख्या 449/1 की 0.544हैक के स्थान पर 0.373हैक अकित की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/09/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner